अनुमति की शर्तें।

(i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।

(ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिती मे निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।

(iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

उक्त खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 82 दिनांक 14/05/2019

प्रार्थी श्रीमति शकुंतला लोहिया W/o श्री महेश लोहिया ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 14520/- जमा है जरिये रसीद संख्या 1005/2228, 2229 दिनांक 14/05/2019 को जमा करा दी है।

P.No: 82-A खसरा सं. 199/3 ग्राम-पाल बालाजी नगर योजना

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

(मनीष लोहिया पुत्र)
8239136591